Tax Collected from Cable Operators

109. **Shri Jagbir Singh Malik, M.L.A.** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any provision of the Government for imposing entertainment tax or any other tax on the cable operator in State; if so, the district wise or local body wise details of tax collected from these cable operators; and

(b) if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to levy taxes on cable operators of State?

Sh. Anil Vij, Urban Local Bodies, Minister

Yes, Sir

(a) An amendment under Section 3A of Haryana Municipal Entertainment Duty Act was carried out in the current Session of the Assembly. In terms of the amendment provision, rate of duty has to be notified before it is collected. Since the provision itself has been incorporated during the present Session, the Government is yet to notify the rates and therefore so far the duty has not been collected in any of the Municipal bodies.

(b) The rate is likely to be notified shortly and once it is notified, the duty shall be charged in accordance with the provision of law.

केबल ऑपरेटरों से एकत्रित किया गया कर

109. श्री जगबीर सिंह मलिक, एम०एल०ए० : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या राज्य में केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन कर या कोई अन्य कर लगाने का सरकार का कोई प्रावधान है; यदि हां, तो इन केबल ऑपरेटरों से जिला वार या स्थानीय निकाय वार एकत्र किए गए कर का ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्य के केबल ऑपरेटरों पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

हां, श्रीमान।

(क) **विधानसभा के वर्तमान सत्र में हरियाणा नगर मनोरंजन ड्यूटी अधिनियम की धारा 3ए के तहत एक संशोधन किया गया था। संशोधन प्रावधान के संदर्भ में, शुल्क की दर को एकत्रित करने से पहले अधिसूचित किया जाना है। चूंकि वर्तमान सत्र के दौरान ही इस प्रावधान को शामिल किया गया है, इसलिए सरकार द्वारा अभी दरों को अधिसूचित किया जाना है और इसलिए अब तक किसी भी नगर निकाय में शुल्क जमा नही किया गया है।**

(ख) **दर जल्द ही अधिसूचित होने की संभावना है और इसके अधिसूचित करने के बाद, कानूनी प्रावधान के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।**